



NETAJI SUBHAS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

(A Unit Of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan)

Near 7th Phase, Adityapur Industrial Area, Adityapur, Seraikela Kharsawan,
Jharkhand – 832109

(APPROVED BY NATIONAL MEDICAL COMMISSION, GOVERNMENT OF INDIA)



☎ 1800 889 8518 ☎ 9229342489 ☎ 9386467618 ✉ contact@nsmch.ac.in 🌐 www.nsmch.ac.in

HOSTEL FACILITIES

HOSTEL ACCOMMODATION:

- Air-conditioned hostel accommodation Separate for boys and girls, is available on twin-sharing basis on availability and seniority.
- Hostels for students are located within the NSMCH campus. Allotment of a room to a student is liable to be cancelled if he/she fails to occupy the said accommodation on or before the notified date.
- In case a student goes out of the college/hostel without permission, he/she is expelled from the hostels, and if he/she remains out of the hostel beyond the permitted timings he/she will be suspended from the hostel. His/her hostel fees would be forfeited.
- It is mandatory for all resident students to dine at the hostel mess. Messing and internet facilities are provided for boys and girls within the premises of their hostels.
- Hostel accommodation is allotted to a student, subject to a written concurrence of the parent that his/her ward would respect the written and verbal instructions and the rules concerning the stay in the hostel allocated by the college authorities from time to time. In case of a serious infringement of the hostel rules/instructions or a gross violation of the hostel decorum, students are likely to be expelled from the hostel or may be fined or both.

Detailed hostel rules are given in Section 11

11 HOSTEL RULES

GENERAL HOSTEL RULES:

- The Course being residential, it is mandatory for all the students to stay in the College hostels. No student will be allowed to stay outside hostel as the classes are scheduled from 08.00am to 05.00pm in all working days. Beside this they may have to attend classes beyond this time & also in the ward learning they will have to be present in hospital.

For study after classes the library is open in three shifts which will help the students to improve their performance in the class.

Hence it is made mandatory for the students to reside inside the campus.

THERE IS NO RELAXATION.

Students seeking admission in the Hostel will be required to complete all formalities as prescribed from time to time. Hostel accommodation will be allotted only after the parent/guardian has given a written undertaking that the student would comply with all hostel rules as may be laid down from time to time and that he/she may be summarily expelled from the hostel if found violating these rules and is displaying an unbecoming conduct. There would be no pro-rata reimbursement of hostel or messing charges in case a student is expelled, takes leave or is away from the Hostel for any reason whatsoever.

Parent Signature

Student Signature



NETAJI SUBHAS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

(A Unit Of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan)

Near 7th Phase, Adityapur Industrial Area, Adityapur, Seraikela Kharsawan,
Jharkhand – 832109

(APPROVED BY NATIONAL MEDICAL COMMISSION, GOVERNMENT OF INDIA)



☎ 1800 889 8518 ☎ 9229342489 ☎ 9386467618 ✉ contact@nsmch.ac.in 🌐 www.nsmch.ac.in

- › Authority to supervise and Control the students residing in various hostels shall rest with the Warden/Chief Warden.
- › The College reserves the right to expel a resident student from the hostel if his/her stay in the hostel is continuously proving to be detrimental to the peace and tranquillity of the other fellow resident students. A disciplinary action shall normally be resorted to only after due warnings to the student concerned. Parents will be kept informed about the same.

In cases of gross acts of indiscipline, like indulgence in disorderly behaviour, violence towards other residents, drunkenness, use of drugs, damage to hostel or property, unauthorized unexplained overnight absence and other acts amounting to the disturbance of peace and order in the hostel, a student may be summarily expelled from the hostel. Admission or re-admission to the hostel is strictly subject to this condition.

DAMAGE TO HOSTEL PROPERTY:

- › Students should check their furniture, furnishings, fittings, amenities, auxiliaries and other items issued to them at the time of occupying the room. They are expected to surrender the accommodation and allied items in the same state in which these were issued initially. Failing this, the hostel Warden would not give them the 'No-Dues' clearance.
- › Any loss or damage to the hostel property namely buildings, fixtures, fittings, furniture, amenities, ancillaries and other items issued to the residents will have to be made good at the expense of the occupants of the room or that of the person to whom the items were issued or occupants of the block as the case may be.
- › Willful damage to hostel property including defacing of walls, doors, windows furniture items etc would be considered as breach of discipline and will be dealt with appropriately.
- › As per the University rules, a fine amounting to as much as 5 times (of the value of the damaged item) would be charged to each student reported to have been involved in the damage.

CLEANLINESS IN THE HOSTEL:

- › Residents are responsible for the upkeep and cleanliness of their rooms at all times. The Chief Warden/Warden and faculty will have full liberty to inspect the students' accommodation frequently and initiate appropriate action against those whose rooms are found to be in a dirty, unkempt or in a disorderly state.
- › All waste materials must be consigned to the bins provided for the purpose.

LIGHTS AND ELECTRICAL FITTINGS:

- > Wall plugs provided in each room are to be used for table lamps only and the sockets provided in the bathrooms are to be used for shavers or hairdryers.

Use of other electrical appliances (Heaters, Kettles, Irons, pedestal fans) is not permitted. Any private

Electrical appliance found in the room shall be confiscated and appropriate disciplinary action would be taken against the concerned student.

- › Students shall not attempt to fiddle with electrical fittings or attempt to repair power breakdown or failures themselves. Services of a qualified electrician are available at all times.

Parent Signature

Student Signature



NETAJI SUBHAS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

(A Unit Of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan)

Near 7th Phase, Adityapur Industrial Area, Adityapur, Seraikela Kharsawan,
Jharkhand – 832109

(APPROVED BY NATIONAL MEDICAL COMMISSION, GOVERNMENT OF INDIA)



☎ 1800 889 8518 ☎ 9229342489 ☎ 9386467618 ✉ contact@nsmch.ac.in 🌐 www.nsmch.ac.in

› Students must put off all lights and fans of their rooms before leaving the room. Negligence in conserving energy would result in heavy fines.

HOSTEL DISCIPLINE:

› Consumption of liquor in the hostel premises is strictly forbidden. Defaulters shall be severely dealt with. Similarly, behaving in a drunken and disorderly manner shall result in the student's expulsion from the hostel.

› Students found to be indulging in smoking or in a repeated use of drugs would be expelled from the college and permitted to re-join only on production of a De-addiction Treatment Certificate of a Government hospital/KMC.

› Any action that disturbs the general peace in the hostel or interferes with studies of others must be avoided at all times. Residents who persist in such behaviour shall be expelled from the hostel.

Residents are not allowed to enter each other's rooms without the express permission of the occupants.

› Male students shall not enter the ladies hostel and vice versa.

› With regard to any acts of indiscipline committed in the hostel, the initial investigation of such indiscipline would be carried out by the Warden. The college student council President / Vice President may also be involved in the said investigation.

All attempts shall be made to resolve issues at this level, failing which the same may be brought to the College Disciplinary committee which is chaired by the Principal and is constituted on a case-to-case basis.

HOSTEL TIMINGS:

› All resident students must be back in the hostel by the stipulated time. The Warden may take a roll call at any time after this and absence from the hostel shall be taken a serious note of.

› Any student wishing to return to his room later than the stipulated time, should apply in writing to the Chief Warden, clearly stating reasons for the same and the time at which he/she would return.

SILENT HOURS:

'Silent Hours' would be observed between 11.00 PM and 6.00 AM on all days. Every resident must retire to his/her room by 11.00 PM. This is to allow the resident students an opportunity for self-study. Residents are forbidden to play music, sing aloud or resort to shouting or to make any other kind of noise likely to distract the attention of those who may be studying. Additional silent hours may be effected on a required basis.

RESIDENTS LEAVING THE HOSTEL:

> No resident shall leave Station (Hostel) or stay away from his/her room during the night, except with the written permission of the Principal/Vice Principal.

In case any resident wishes to leave the station temporarily or otherwise, he/she should apply to the Vice Principal in writing along with a written consent from the parents. Such request will clearly state the date and time of departure and of return with the contact telephone number and postal address during the absence.

In case of trips sponsored by the College necessitating absence of one or more nights, the member of the Faculty responsible for the trip will obtain formal permission of the Principal and communicate the same to the Chief

Parent Signature

Student Signature



NETAJI SUBHAS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

(A Unit Of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan)

Near 7th Phase, Adityapur Industrial Area, Adityapur, Seraikela Kharsawan,
Jharkhand – 832109

(APPROVED BY NATIONAL MEDICAL COMMISSION, GOVERNMENT OF INDIA)



☎ 1800 889 8518 ☎ 9229342489 ☎ 9386467618 ✉ contact@nsmch.ac.in 🌐 www.nsmch.ac.in

Warden. He/she would then assume the responsibility for the safety, security and behavior of the residents proceeding on the Trip.

Personal belongings of the students proceeding on vacation may be left behind in the hostel till their return. All such articles must be packed and labeled properly and entrusted to the caretaker for a safe custody, with an inventory. Receipt will be issued for the articles held in safe custody. Management will not be responsible for damage to the belongings on account of inclement weather, improper insulation, dampness and the like.

VISITS BY OUTSIDERS:

Outsiders or strangers are not permitted to visit the hostel without prior permission of the Vice Principal/Warden at any time in the day or night. If unknown visitors are found moving about in the hostel premises, they will be handed over to the Police.

› Visitors are to be met only in the College lobby or in the common room. They are not permitted inside the hostel rooms or in the Mess.

› All visitors and non-residents must leave the hostel premises by 9 PM. Outsiders (other than the college's Local bonafide students on a festival or a Hostel Function) are not allowed to remain in the hostel during night.

› All students are advised to extend their full co-operation to assure that no unauthorized person are found in the hostel premises. If they happen to find any such person, they should bring the same to the notice of the Warden for further action.

SICKNESS:

› All cases of sickness resulting in absence from classes must be reported to the Warden before the commencement of classes. The sick students would be invariably referred to the NSMCH, Adityapur, Seraikela Kharsawan. Permission to stay back in the hostel room due to sickness has to be obtained from the warden directly and not by way of communicating the same via any other student or via Text Message to the Warden.

MEETINGS:

› Residents of the hostel are not permitted to convene official meetings of any sort in the hostel premises without the permission of the Principal. Disobedience of this rule would be severely dealt with.



NETAJI SUBHAS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

(A Unit Of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan)

Near 7th Phase, Adityapur Industrial Area, Adityapur, Seraikela Kharsawan,
Jharkhand – 832109

(APPROVED BY NATIONAL MEDICAL COMMISSION, GOVERNMENT OF INDIA)



☎ 1800 889 8518 ☎ 9229342489 ☎ 9386467618 ✉ contact@nsmch.ac.in 🌐 www.nsmch.ac.in

MESS RULES:

- ▶ All hostel residents are obliged to consume their meals in the Hostel Mess only. No deduction in hostel boarding bill on account of missing meals from the Mess would be allowed.
- > Bringing into the Hostel meals cooked in the local eateries/restaurants or at Dhabas is not permissible without the express permission of the Warden.
- › All aspects of the mess functioning, namely the maintenance and audit of monthly accounts, production and service of food and beverages including preparation of menus, inspection of dry and fresh rations for quality, quantity and rates, cleanliness and maintenance of the cooking and service area, hygiene and sanitation of the cooking and service staff and appraisal of the staff performance will be supervised by the Mess Committee formed by student comprising two Boys & Two Girls student of different batches.
- > Broad functions of various members of a Mess Committee are hereby given:
- › Students are not allowed to keep vehicle with them. Using vehicle in the campus will be dealt amounting to indiscipline

Principal
NSMCH,
Adityapur, Seraikela Kharsawan

Parent Signature

Student Signature



NETAJI SUBHAS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

(A Unit Of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan)

Near 7th Phase, Adityapur Industrial Area, Adityapur, Seraikela Kharsawan,
Jharkhand – 832109

(APPROVED BY NATIONAL MEDICAL COMMISSION, GOVERNMENT OF INDIA)



1800 889 8518 9229342489 9386467618 contact@nsmch.ac.in www.nsmch.ac.in

HOSTEL ALLOTMENT:

ALLOTMENT PROCEDURE FOR SENIORS (II, III & IV YEARS)

The following guidelines/ rules are placed for your information:

(a) Eligibility: Students will have to stay in the hostel for the whole tenure of the course.

(b) Allotment Criterion

- Seniority
- Based on Marks of previous semester.
- Any Medical Contingency (Only NSMCH Certified cases)
- Miscellaneous (Special Achievers)
- Any special case approved by the respective Directors/ Principal

(c) Discipline. The following students will not be allotted any hostel accommodation in the first list. A special request from the parents and approval of the respective Directors/Principal will be needed in case they apply for accommodation.

- Any disciplinary case.
- Any Substance Abuse related case
- Placed on Termination list
- Not signing of Attendance Register/being absent from hostel repeatedly

Note:

1 Students are allowed to keep only a maximum of one locked suitcase as they leave for their annual and midterm vacations.

2 Single rooms (AC or Non AC) will not be available to any students due to the increase in enrolment.

All students are requested to keep abreast with the latest instruction on the subject, which will be posted on the Hostel Rule Book or on the Hostel Notice Board.

Principal
NSMCH,
Adityapur, Seraikela Kharsawan

Parent Signature

Student Signature



NETAJI SUBHAS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

(A Unit Of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan)

Near 7th Phase, Adityapur Industrial Area, Adityapur, Seraikela Kharsawan,

Jharkhand – 832109

(APPROVED BY NATIONAL MEDICAL COMMISSION, GOVERNMENT OF INDIA)



1800 889 8518 9229342489 9386467618 contact@nsmch.ac.in www.nsmch.ac.in

एनएसएमसीएच छात्रावास

वातानुकूलित छात्रावास आवास - लड़कों और लड़कियों के लिए अलग, उपलब्धता और वरिष्ठता के आधार पर द्विन-शेयरिंग आधार पर उपलब्ध है।

छात्रों के लिए छात्रावास एनएसएमसीएच परिसर के भीतर स्थित हैं। किसी छात्र को एक कमरे का आवंटन रद्द किया जा सकता है यदि वह अधिसूचित तिथि को या उससे पहले उक्त आवास पर कब्जा करने में विफल रहता है।

यदि कोई छात्र बिना अनुमति के कॉलेज / छात्रावास से बाहर जाता है, तो उसे छात्रावास से निकाल दिया जाता है, और यदि वह निर्धारित समय से अधिक छात्रावास से बाहर रहता है तो उसे छात्रावास से निलंबित कर दिया जाएगा। उनकी छात्रावास की फीस जब्त कर ली जाएगी।

सभी निवासी छात्रों के लिए छात्रावास के मेस में भोजन करना अनिवार्य है। लड़के और लड़कियों के लिए उनके छात्रावास के परिसर में मेसिंग और इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है।

एक छात्र को छात्रावास आवास आवंटित किया जाता है, जो माता-पिता की लिखित सहमति के अधीन है कि उसका बच्चा कॉलेज के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आवंटित छात्रावास में रहने से संबंधित लिखित और मौखिक निर्देशों और नियमों का सम्मान करेगा। छात्रावास के नियमों/निर्देशों के गंभीर उल्लंघन या छात्रावास की मर्यादा का घोर उल्लंघन करने पर छात्रों को छात्रावास से निष्कासित किए जाने की संभावना है या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

विस्तृत छात्रावास नियम धारा 11 में दिए गए हैं।

11 छात्रावास नियम

सामान्य छात्रावास नियम:

पाठ्यक्रम आवासीय होने के कारण सभी विद्यार्थियों का महाविद्यालय के छात्रावासों में रहना अनिवार्य है। किसी भी छात्र को छात्रावास के बाहर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि कक्षाएं सभी कार्य दिवसों में सुबह 08.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक निर्धारित हैं। इसके अलावा उन्हें इस समय से अधिक कक्षाओं में भाग लेना पड़ सकता है और वार्ड में भी सीखने के लिए उन्हें अस्पताल में उपस्थित रहना होगा।

कक्षाओं के बाद अध्ययन के लिए पुस्तकालय तीन पालियों में खुला है जो छात्रों को कक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

इसलिए छात्रों के लिए परिसर के अंदर रहना अनिवार्य कर दिया गया है।

कोई छूट नहीं है।

छात्रावास में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को निर्धारित सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। छात्रावास आवास तभी आवंटित किया जाएगा जब माता-पिता/अभिभावक ने 11.1 लिखित वचन दिया हो कि छात्र छात्रावास के सभी नियमों का पालन करेगा जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

Parent Signature

Student Signature



NETAJI SUBHAS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

(A Unit Of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan)

Near 7th Phase, Adityapur Industrial Area, Adityapur, Seraikela Kharsawan,
Jharkhand - 832109

(APPROVED BY NATIONAL MEDICAL COMMISSION, GOVERNMENT OF INDIA)



1800 889 8518 9229342489 9386467618 contact@nsmch.ac.in www.nsmch.ac.in

यदि इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है और अशोभनीय आचरण प्रदर्शित करता है तो उसे छात्रावास से सरसरी तौर पर निष्कासित किया जा सकता है। यदि किसी छात्र को निष्कासित कर दिया जाता है, छुट्टी ले ली जाती है या किसी भी कारण से छात्रावास से दूर हो जाता है, तो छात्रावास या भोजन शुल्क की कोई यथानुपात प्रतिपूर्ति नहीं होगी।

प्रवेश और आवास का आवंटन:

छात्रावास में प्रवेश केवल उस छात्र द्वारा दिया जाएगा जो खंड में निर्धारित वचनबद्धता प्रस्तुत करता है।

11.1 आवास का आवंटन निर्धारित प्रपत्र पर औपचारिक आवेदन प्राप्त होने पर किया जायेगा। छात्रावास के किराए और अन्य शुल्कों के भुगतान की पुष्टि करने वाली आधिकारिक रसीद / खाता रिकॉर्ड प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र जारी किए जाएंगे। छात्रावास के कमरों का आवंटन निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रबंधन के विवेक पर होगा:

आवश्यकता/अत्यावश्यकता के मामले में, विभिन्न बैचों के छात्रों को एक कमरा साझा करने के लिए कहा जा सकता है।

भाइयों/बहनों, निकट से संबंधित छात्रों, पूर्व-विद्यालयों या एक ही शहर/मोहल्ले से आने वाले छात्रों को एक साथ समूहबद्ध करने के अनुरोधों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मामला-दर-मामला आधार पर।

एक बार आवंटित कमरे अति विशेष परिस्थितियों को छोड़कर नहीं बदले जाएंगे।

पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए कमरे आवंटित किए जाते हैं। तथापि, तीन दिनों से अधिक की विभिन्न छुट्टियों या अन्य अनुपस्थिति के दौरान, छात्रावास के वार्डन के पास कमरे की चाबियों का एक सेट जमा किया जाएगा। गैर-अनुपालन के मामले में, वार्डन को छात्रावास के कमरे को खुलवाना पड़ सकता है।

छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कमरे में ही सोएं। नाइट रोल कॉल के समय किसी छात्र के अपने कमरे से अनुपस्थित रहने को छात्र के छात्रावास से अनुपस्थित रहने के रूप में समझा जाएगा, जिसके लिए कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा।

उपलब्धता के आधार पर, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर एकल अधिभोग पर कमरों के अनुरोधों पर विचार किया जा सकता है।

पर्यवेक्षण और नियंत्रण:

विभिन्न छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधिकार वार्डन/मुख्य वार्डन के पास होगा।

कॉलेज एक निवासी छात्र को छात्रावास से निष्कासित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि वह छात्रावास में रहता है छात्रावास आवास तभी आवंटित किया जाएगा जब माता-पिता/अभिभावक ने 11.1 लिखित वचन दिया हो कि छात्र छात्रावास के सभी नियमों का पालन करेगा जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

वातानुकूलित छात्रावास आवास लड़कों और लड़कियों के लिए अलग, उपलब्धता और वरिष्ठता के आधार पर द्विन-शेयरिंग आधार पर उपलब्ध है।

छात्रों के लिए छात्रावास एनएसएमसीएच परिसर के भीतर स्थित हैं। किसी छात्र को एक कमरे का आवंटन रद्द किया जा सकता है यदि वह अधिसूचित तिथि को या उससे पहले उक्त आवास पर कब्जा करने में विफल रहता है।

Parent Signature

Student Signature



NETAJI SUBHAS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

(A Unit Of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan)

Near 7th Phase, Adityapur Industrial Area, Adityapur, Seraikela Kharsawan,
Jharkhand - 832109

(APPROVED BY NATIONAL MEDICAL COMMISSION, GOVERNMENT OF INDIA)



1800 889 8518 9229342489 9386467618 contact@nsmch.ac.in www.nsmch.ac.in

यदि कोई छात्र बिना अनुमति के कॉलेज / छात्रावास से बाहर जाता है, तो उसे छात्रावास से निकाल दिया जाता है, और यदि वह निर्धारित समय से अधिक छात्रावास से बाहर रहता है तो उसे छात्रावास से निलंबित कर दिया जाएगा। उनकी छात्रावास की फीस जब्त कर ली जाएगी।

सभी निवासी छात्रों के लिए छात्रावास के मैसेज में भोजन करना अनिवार्य है। लड़के और लड़कियों के लिए उनके छात्रावास के परिसर में मेसिंग और इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है।

एक छात्र को छात्रावास आवास आवंटित किया जाता है, जो माता-पिता की लिखित सहमति के अधीन है कि उसका बच्चा कॉलेज के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आवंटित छात्रावास में रहने से संबंधित लिखित और मौखिक निर्देशों और नियमों का सम्मान करेगा। छात्रावास के नियमों/निर्देशों के गंभीर उल्लंघन या छात्रावास की मर्यादा का घोर उल्लंघन करने पर छात्रों को छात्रावास से निष्कासित किए जाने की संभावना है।

छात्रावास की संपत्ति को नुकसान:

छात्रों को कमरे में रहने के समय अपने फर्नीचर, साज-सज्जा, फिटिंग, सुविधाएं, सहायक और उन्हें जारी की गई अन्य वस्तुओं की जांच करनी चाहिए। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उसी राज्य में आवास और संबंध वस्तुओं को सरेडर कर दें, जिसमें ये शुरू में जारी किए गए थे। ऐसा न करने पर छात्रावास के वार्डन उन्हें 'अदेयता' की स्वीकृति नहीं देंगे।

छात्रावास की संपत्ति जैसे भवन, फिक्स्चर, फिटिंग, फर्नीचर, सुविधाएं, सहायक सामान और अन्य सामान जो निवासियों को जारी किए गए हैं, किसी भी नुकसान या क्षति को कमरे के रहने वालों या उस व्यक्ति की कीमत पर पूरा करना होगा जिसे आइटम जारी किए गए थे या ब्लॉक के रहने वालों के रूप में मामला हो सकता है।

छात्रावास की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान, जिसमें दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों के फर्नीचर की वस्तुओं आदि को बदलना शामिल है, को अनुशासन का उल्लंघन माना जाएगा और उचित तरीके से निपटा जाएगा।

विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, नुकसान में शामिल होने की सूचना देने वाले प्रत्येक छात्र से 5 गुना (क्षतिग्रस्त वस्तु के मूल्य का) जुर्माना लगाया जाएगा।

छात्रावास में साफ-सफाई:

निवासी हर समय अपने कमरों के रख-रखाव और साफ-सफाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुख्य वार्डन / वार्डन और संकाय को छात्रों के आवास का बार-बार निरीक्षण करने और उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने की पूरी स्वतंत्रता होगी, जिनके कमरे गंदे, अव्यवस्थित या अव्यवस्थित अवस्था में पाए जाते हैं।

सभी अपशिष्ट पदार्थों को इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए डिब्बे में भेजा जाना चाहिए।

रोशनी और विद्युत फिटिंग:

प्रत्येक कमरे में लगे वॉल प्लग का उपयोग केवल टेबल लैंप के लिए किया जाना है और बाथरूम में दिए गए सॉकेट का उपयोग शेवर या हेयर ड्रायर के लिए किया जाना है। अन्य बिजली के उपकरणों (हीटर, केटल्स, पेडस्टल पंखे) के उपयोग की अनुमति नहीं है। कोई भी निजी कमरे में पाए गए विद्युत उपकरण को जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित छात्र के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।



NETAJI SUBHAS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

(A Unit Of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan)

Near 7th Phase, Adityapur Industrial Area, Adityapur, Seraikela Kharsawan,

Jharkhand – 832109

(APPROVED BY NATIONAL MEDICAL COMMISSION, GOVERNMENT OF INDIA)



☎ 1800 889 8518 ☎ 9229342489 ☎ 9386467618 ✉ contact@nsmch.ac.in 🌐 www.nsmch.ac.in

विद्यार्थी विद्युत फिटिंग के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास नहीं करेंगे या स्वयं बिजली की खराबी या विफलताओं को ठीक करने का प्रयास नहीं करेंगे। एक योग्य इलेक्ट्रीशियन की सेवाएं हर समय उपलब्ध हैं।

छात्रों को कमरे से बाहर निकलने से पहले अपने कमरे की सभी लाइटें और पंखे बंद करने चाहिए। ऊर्जा संरक्षण में लापरवाही के परिणामस्वरूप भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।

छात्रावास अनुशासन:

छात्रावास परिसर में शराब का सेवन सख्त वर्जित है। चूक करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसी प्रकार, शराब के नशे में और उच्छृंखल व्यवहार करने पर छात्र को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।

धूम्रपान या बार-बार नशीली दवाओं के सेवन में लिप्त पाए जाने वाले छात्रों को कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा और केवल एक सरकारी अस्पताल / एनएसएमसीएच के नशामुक्ति उपचार प्रमाण पत्र के उत्पादन पर फिर से शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

छात्रावास में सामान्य शांति भंग करने वाली या दूसरों की पढ़ाई में बाधा डालने वाली कोई भी कार्रवाई हर समय टाली जानी चाहिए। ऐसा व्यवहार करने वाले निवासियों को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।

निवासियों की स्पष्ट अनुमति के बिना निवासियों को एक दूसरे के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

पुरुष छात्र महिला छात्रावास में प्रवेश नहीं करेंगे और इसके विपरीत।

छात्रावास में अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के संबंध में ऐसी अनुशासनहीनता की प्रारंभिक जांच वार्डन द्वारा की जाएगी। उक्त जांच में महाविद्यालय छात्र परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष भी शामिल हो सकते हैं।

इस स्तर पर मुद्दों को हल करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे, असफल होने पर इसे कॉलेज अनुशासन समिति में लाया जा सकता है, जिसकी अध्यक्षता प्राचार्य द्वारा की जाती है और मामला-दर-मामला आधार पर गठित की जाती है।

छात्रावास का समय:

सभी निवासी छात्र निर्धारित समय तक छात्रावास में वापस आ जाएं। वार्डन इसके बाद किसी भी समय रोल कॉल ले सकता है और छात्रावास से अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा।

कोई भी छात्र जो निर्धारित समय के बाद अपने कमरे में वापस आना चाहता है, उसे मुख्य वार्डन को लिखित रूप में आवेदन करना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से इसका कारण बताया गया हो और जिस समय वह वापस आएगा।

मौन घंटे:

सभी दिनों में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे के बीच 'मौन समय' मनाया जाएगा। प्रत्येक निवासी को रात्रि 11.00 बजे तक अपने कमरे में सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। यह निवासी छात्रों को स्व-अध्ययन का अवसर प्रदान करने के लिए है। निवासियों को संगीत बजाने, जोर से गाने या चिल्लाने का सहारा लेने या किसी अन्य प्रकार का शोर करने से मना किया जाता है जिससे अध्ययन करने वालों का ध्यान भटकने की संभावना हो। अतिरिक्त मौन घंटे आवश्यक आधार पर प्रभावी किए जा सकते हैं।

Parent Signature

Student Signature



NETAJI SUBHAS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

(A Unit Of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan)

Near 7th Phase, Adityapur Industrial Area, Adityapur, Seraikela Kharsawan,

Jharkhand – 832109

(APPROVED BY NATIONAL MEDICAL COMMISSION, GOVERNMENT OF INDIA)



☎ 1800 889 8518 ☎ 9229342489 ☎ 9386467618 ✉ contact@nsmch.ac.in 🌐 www.nsmch.ac.in

छात्रावास छोड़ने वाले निवासी:

कोई भी निवासी प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति के बिना रात के दौरान स्टेशन (छात्रावास) को नहीं छोड़ेगा या अपने कमरे से दूर नहीं रहेगा।

यदि कोई निवासी अस्थायी रूप से या अन्यथा स्टेशन छोड़ना चाहता है, तो उसे माता-पिता से लिखित सहमति के साथ वाइस प्रिंसिपल को लिखित रूप में आवेदन करना चाहिए। इस तरह के अनुरोध में अनुपस्थिति के दौरान संपर्क टेलीफोन नंबर और डाक पते के साथ प्रस्थान और वापसी की तारीख और समय स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।

कॉलेज द्वारा प्रायोजित यात्राओं के मामले में एक या अधिक रातों की अनुपस्थिति की आवश्यकता होती है, यात्रा के लिए जिम्मेदार संकाय के सदस्य प्राचार्य की औपचारिक अनुमति प्राप्त करेंगे और इसकी सूचना मुख्य वार्डन को देंगे। फिर वह यात्रा पर जाने वाले निवासियों की सुरक्षा, सुरक्षा और व्यवहार की जिम्मेदारी ग्रहण करेगा।

छुट्टी पर जाने वाले छात्रों का निजी सामान उनकी वापसी तक छात्रावास में छोड़ा जा सकता है। ऐसे सभी सामानों को पैक किया जाना चाहिए और ठीक से लेबल किया जाना चाहिए और एक सूची के साथ कार्यवाहक को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सौंपा जाना चाहिए। सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं की रसीद जारी की जाएगी। खराब मौसम, अनुचित इन्सुलेशन, नमी और इस तरह के कारण सामान के नुकसान के लिए प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा।

बाहरी लोगों द्वारा दौरा:

बाहरी या अजनबियों को दिन या रात में किसी भी समय वाइस प्रिंसिपल/वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना छात्रावास में आने की अनुमति नहीं है। यदि छात्रावास परिसर में कोई अनजान व्यक्ति घूमता हुआ पाया जाता है तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा।

आगंतुकों से केवल कॉलेज की लॉबी या कॉमन रूम में मुलाकात की जानी है। उन्हें छात्रावास के कमरे या मेस में जाने की अनुमति नहीं है।

सभी आगंतुकों और निवासियों को रात 9 बजे तक छात्रावास परिसर से बाहर निकल जाना चाहिए। बाहरी लोगों (किसी उत्सव या छात्रावास समारोह में कॉलेज के स्थानीय वास्तविक छात्रों के अलावा) को रात के दौरान छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं है।

सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि छात्रावास परिसर में कोई अनधिकृत व्यक्ति नहीं जाए जाने के लिए अपना पूरा सहयोग दें। यदि उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, तो उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए उसे वार्डन के ध्यान में लाना चाहिए।

बीमारी:

कक्षाओं से अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप होने वाली बीमारी के सभी मामलों को कक्षाओं के प्रारंभ होने से पहले वार्डन को सूचित किया जाना चाहिए। बीमार छात्रों को हमेशा एनएसएमसीएच, आदित्यपुर, सराईकेला खरसावां रेफर किया जाएगा। बीमारी के कारण छात्रावास के कमरे में वापस रहने की अनुमति सीधे वार्डन से लेनी होगी, न कि किसी अन्य छात्र के माध्यम से या वार्डन को पाठ संदेश के माध्यम से।



NETAJI SUBHAS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

(A Unit Of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan)

Near 7th Phase, Adityapur Industrial Area, Adityapur, Seraikela Kharsawan,
Jharkhand - 832109

(APPROVED BY NATIONAL MEDICAL COMMISSION, GOVERNMENT OF INDIA)



1800 889 8518 9229342489 9386467618 contact@nsmch.ac.in www.nsmch.ac.in

बैठकें:

छात्रावास के निवासियों को प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार की आधिकारिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं है। इस नियम की अवहेलना करने पर सख्ती से निपटा जाएगा।

मेस नियम:

सभी छात्रावास निवासी छात्रावास मेस में ही अपना भोजन करने के लिए बाध्य हैं। मेस से भोजन न मिलने के कारण छात्रावास के बोर्डिंग बिल में किसी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं होगी।

वार्डन की स्पष्ट अनुमति के बिना स्थानीय भोजनालयों/रेस्तरां या ढाबों में पकाए गए भोजन को छात्रावास में लाना अनुमन्य नहीं है।

मेस के कामकाज के सभी पहलू, अर्थात् मासिक खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षा, मेनू तैयार करने सहित खाद्य और पेय पदार्थों का उत्पादन और सेवा, गुणवत्ता, मात्रा और दरों के लिए सूखे और ताजा राशन का निरीक्षण, खाना पकाने और सेवा की सफाई और रखरखाव खाना पकाने और सेवा कर्मचारियों के क्षेत्र, स्वच्छता और स्वच्छता और कर्मचारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन की निगरानी मेस समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें विभिन्न बैचों के दो लड़के और दो लड़कियां शामिल हैं।

एक मेस समिति के विभिन्न सदस्यों के व्यापक कार्य एतद्वारा दिए गए हैं:

छात्रों को अपने साथ वाहन रखने की अनुमति नहीं है। परिसर में वाहन का प्रयोग करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा

प्राचार्य

एनएसएमसीएच,

आदित्यपुर, सराईकेला खरसावां



NETAJI SUBHAS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

(A Unit Of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan)

Near 7th Phase, Adityapur Industrial Area, Adityapur, Seraikela Kharsawan,
Jharkhand - 832109

(APPROVED BY NATIONAL MEDICAL COMMISSION, GOVERNMENT OF INDIA)



1800 889 8518 9229342489 9386467618 contact@nsmch.ac.in www.nsmch.ac.in

छात्रावास आवंटन

वरिष्ठों (द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष) के लिए आवंटन प्रक्रिया)

आपकी जानकारी के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश/नियम दिए गए हैं:

(ए) पात्रता: पात्रता: छात्रों को पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए छात्रावास में रहना होगा।

(बी) आवंटन मानदंड

- वरिष्ठता
- पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर। कोई भी चिकित्सीय आकस्मिकता (केवल NSMCH प्रमाणित मामले) विविध (विशेष उपलब्धि)
- संबंधित निदेशकों/प्राचार्य द्वारा अनुमोदित कोई विशेष मामला

(सी) अनुशासन। निम्नलिखित छात्रों को पहली सूची में कोई छात्रावास आवास आवंटित नहीं किया जाएगा। यदि वे आवास के लिए आवेदन करते हैं तो माता-पिता से एक विशेष अनुरोध और संबंधित निदेशकों / प्रधानाचार्य के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

- कोई अनुशासनात्मक मामला कोई भी मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित मामला
- समाप्ति सूची में रखा गया
- उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर न करना/छात्रावास से बार-बार अनुपस्थित रहना

ध्यान दें:

1. छात्रों को अधिकतम एक बंद सूटकेस रखने की अनुमति है क्योंकि वे अपनी वार्षिक और मध्यावधि छुट्टियों के लिए जाते हैं।
2. नामांकन में वृद्धि के कारण किसी भी छात्र को सिंगल रूम (एसी या नॉन एसी) उपलब्ध नहीं होगा।

सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इस विषय पर नवीनतम निर्देश के साथ बने रहें, जिसे छात्रावास नियम पुस्तिका या छात्रावास नोटिस बोर्ड पर पोस्ट किया जाएगा।

प्राचार्य

एनएसएमसीएच,

आदित्यपुर, सराईकेला खरसावां

Parent Signature

Student Signature